



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012021-224826
CG-DL-E-30012021-224826

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417]
No. 417]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2021/माघ 9, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2021/MAGHA 9, 1942

आयुष मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

का.आ. 454(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में, हिमाचल प्रदेश शीर्ष के अधीन “आयुर्वेद और सिद्ध” से संबंधित भाग 1 में, क्रम संख्या 24ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् स्तंभ 1,2,3,4 और 5 में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24घ	अभिलाषी विश्वविद्यालय, चैलचौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश	आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.)	(बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) (बी.ए.एम.एस.)	जुलाई 2020 से आगे, यदि निम्नलिखित महाविद्यालय में वर्ष 2014 से आगे केंद्रीय सरकार की अनुमति से छात्रों को प्रवेश दिया गया था अर्थात्:— अभिलाषी आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, चैलचौक, टेक चचयोद, मंडी 175008 हिमाचल प्रदेश।

[फा. सं. एल-11030/6/2019-ईपी-1]

पी. एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4068(अ) तारीख 30 नवंबर, 1979 द्वारा पहली बार संशोधित किया गया था और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4639(अ), तारीख 18 दिसंबर, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AYUSH NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2021

S.O. 454(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely;—

In the Indian Medicine Central Council Act, 1970, in the Second Schedule, in Part-I relating to “Ayurveda and Siddha”, under the heading Himachal Pradesh, after serial number 24C and the entries relating thereto, the following serial number and entries in column 1,2,3,4 and 5 shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24D	Abhilashi University, Chailchowk, Mandi Himachal Pradesh	Ayurvedacharya (B.A.M.S.)	Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.)	For July 2020 onwards, if awarded to the students who were admitted with the permission of the Central Government in the year 2014 onwards in Abhilashi Ayurvedic College & Research Institute, Chail Chowk, Teh. Chachyot, Mandi- 175008, Himachal Pradesh

[F. No. L-11030/6/2019-EP-1]

P. N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note: The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was first amended *vide* notification number S.O. 4068 (E), dated the 30th November, 1979 and was last amended *vide* notification number S.O. 4639 (E), dated the 18th December, 2020.